राज मोहन सिंह से पहले, जे.

हवा सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

2016 का मैपरसन और एक अन्य प्रतिवादी सीआर No.4730

10 जनवरी, 2017

भारत का संविधान, **1950**-अनुच्छेद **20 (3)**-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, **1872**-धारा **45,112**-खाते को डी. एन. ए. परीक्षण के अधीन करते हुए-न्यायालय वैज्ञानिक तंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दे सकता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कहीं भी नहीं ले जाएगा-वैधता पर तब तक सवाल नहीं उठाया जा सकता जब तक कि विवाह बना रहे-डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल के लिए प्रार्थना नहीं दी जा सकती-याचिका खारिज कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलेगा कि भले ही तथ्य के प्रमाण की संभावना के लिए प्रदान की गई वर्तमान आधुनिक तकनीक में डी. एन. ए. प्रोफाइल का आदेश दिया जा सकता है, जो उस समय उपलब्ध नहीं था जब साक्ष्य अधिनियम की खंड 112 अधिनियमित की गई थी, लेकिन न्यायालय ऐसे वैज्ञानिक तंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दे सकता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कहीं भी नहीं लेजाएगा।

(पैरा 23)

यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावित कार्रवाई से निश्चित रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई ठोस विच्छेद नहीं होगा।तथ्यों पर ध्यान केवल वर्तमान मामले का निर्णय लेने के उद्देश्य से दिया जा रहा है, जिसका मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई अर्थ नहीं है।ऊपर व्यक्त की गई किसी भी बात को किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(पैरा 24)

आगे कहा कि, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, डी. एन. ए. प्रोफाइल के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता है।इस पुनरीक्षण याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 25)

मणि राम वर्मा, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए।

अक्षय कुमार गोयल, प्रतिवादी के अधिवक्ता

पी. बी. बजंत्री, जे. ओरल

(1) याचिकाकर्ता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), तोशाम द्वारा पारित दिनांक 03.02.2016 के आदेश से व्यथित हैं, जिसमें प्रतिवादियों के डीएनए प्रोफ़ाइल परीक्षण के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) अभियोक्ता-याचिकाकर्ताओं ने इस आशय की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि अभियोक्ता संख्या 1/8 हिस्से का मालिक था।वादी संख्या 2 से 5 के पास खेवट No.40 कुल 259 बीघा, 3 बिसवा वाली भूमि में प्रत्येक के 1/8 हिस्से के मालिक थे। अभियोक्ता ने यह भी घोषणा करने की मांग की कि अभियोक्ता संख्या 1 के पास 1/4 वें हिस्से का मालिक था और अभियोक्ता संख्या 2 से 5 के पास खेवट No.48 कुल 24 बीघा और 0 बिसवा वाली कृषि भूमि में 1/4 वें हिस्से का मालिक था।अभियोक्ता ने यह घोषणा करने की भी मांग की कि अभियोक्ता संख्या 1 के पास 1/600 वें हिस्से का मालिक था और अभियोक्ता संख्या 2 से 5 के पास कृषि भूमि में 1/600 वें हिस्से के मालिक थे, जिसमें खेवट No.115 कुल माप 2023 बीघा, 10 बिसवा शामिल थे।वादी ने यह भी घोषणा करने की मांग की कि दिनाक 08.11.1985 के सिविल मुकदमा No.659 में मैपरसन बनाम रिसाला शीर्षक 1985 से पारित निर्णय और डिक्री और उपरोक्त सिविल कोर्ट के फैसले और डिक्री के आधार पर स्वीकृत परिणामी उत्परिवर्तन 1603 गलत थे, बिना विचार के और वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं थे।

(3) वादी ने दावा किया कि मुकदमा की जमीन रामजी लाल और रिसाला को उनके पिता बक्शा से विरासत में मिली थी।बक्शा को यह अपने पिता मसानिया सेविरासत में मिला था।खेवट No.48 में शामिल भूमि को रिसाला ने संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति से उत्पन्न धन से खरीदा था।मसानिया के पुत्र बक्शा के दो पुत्र थे जिनके नाम रामजी लाल और रिसाला थे।रामजी लाल का विवाह सारती से हुआ था।रिसाला का विवाह भुरली से हुआ था।प्रतिवादियों का जन्म रिसाला और भुरली के विवाह से हुआ था।

(4) वादी-याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि रामजी लाल सेना में थे और वे 1940 से 1946 तक गाँव नहीं आए थे।उसके ठिकाने का पता नहीं चल सका।इसके बाद, रामजी लाल की पत्नी सारती ने अपनी पत्नी के रूप में रिसाला के साथ रहना शुरू कर दिया। अभियोक्ता No.1-Hawa सिंह और अभियोक्ता नंबर 3 से 5 के पिता जय सिंह का जन्म रिसाला और सारती के इस विवाह से हुआ था।रामजी लाल, जो आई. एन. ए. में थे, वर्ष 1946 में गाँव लौट आए थे और उसके बाद सारती फिर से रामजी लाल के साथ रहने लगी। अभियोक्ता नंबर 1 हवा सिंह और अभियोक्ता नंबर 3 से 5 के पिता रिसाला के साथ रहते थे।संक्षेप में, यह पेश करने की कोशिश की गई कि हवा सिंह और जय सिंह रिसाला और सारती के पुत्र थे।

(5) प्रतिवादियों द्वारा मुकदमे का मुकदमा किया गया था। हवा सिंह और जय सिंह के रिसाला के पुत्र होने से इनकार कर दिया गया था, बल्कि उन्हें रामजी लाल के पुत्र होने का दावा किया गया था।

(6) हवा सिंह और जय सिंह के पितृत्व के संबंध में विवाद दोनों पक्षों के बीच मुख्य मुद्दा था और दोनों पक्षों के डीएनए प्रोफाइल के माध्यम से इसका पता लगाने की कोशिश की गई थी।विवाद रिसाला की संपत्ति के संबंध में है।वादी के पितृत्व का पता डी. एन. ए. प्रोफाइल के माध्यम से लगाने की मांग की गई थी क्योंकि इसे ठोस, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है।वादियों द्वारा रिसाला की संपत्ति में अधिकारों का दावा किया गया है जबकि उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है।बच्चे की वैधता विवाद में नहीं है, लेकिन विवाद रिसाला की संपत्ति के संबंध में है जो उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलनी है।

(7) प्रतिवादियों द्वारा आवेदन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि डीएनए प्रोफ़ाइल कथित पिता के जीवित होने पर पितृत्व स्थापित करने में मदद करती है।परीक्षण केवल दुर्लभ मामलों में आयोजित किया जाता है ताकि व्यक्ति को कमीने न कहा जाए।आम तौर पर, यह परीक्षण आपराधिक मामले में अपराधियों की पहचान स्थापित आदेश के बाद उन्हें पकड़ने के लिए किया जाता है।शिकायत में बताए गए तथ्यों के अनुसार, सारती की शादी रामजी लाल से हुई थी जो सेना में थे।रामजी लाल को 1942 से 1946 तक नहीं सुना गया था।इसके बाद, सारती रिसाला के साथ रहती थी।भुरली उस समय जीवित था, इसलिए संभवतः रामजी लाल की नागरिक मृत्यु को साबित किए बिना कोई करेवा नहीं हो सकता है।

(8) रिसाला की मृत्यु 14.04.1995 पर हुई।रामजी लाल की मृत्यु 24.08.1972 पर हुई। सारती की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और भुरली की भी मृत्यु वर्ष 1985 में हुई थी।अब हवा सिंह, जय सिंह की तुलना मैपरसन और माई सिंह से करने की कोशिश की जाती है। वर्ष 1947 में रामजी लाल वापस आए और रामजी लाल और सारती के बीच फिर से मिलन हुआ।इस पुनर्मिलन से तीसरे पुत्र मानफोल और बेटी माईचंडी का जन्म हुआ।अब मुद्दा यह देखना होगा कि जब रिसाला पहले ही मर चुका होगा तो परीक्षण की सत्यता क्या होगी।परीक्षण की निर्णायकता को तुलना के संदर्भ में आंका जाना चाहिए जो दोनों पक्षों के कथित जैविक पिता यानी रिसाला के साथ नहीं किया जा सकता है।

(9) अभियोक्ता द्वारा दायर डी. एन. ए. प्रोफाइल के लिए आवेदन में प्रार्थना की गई है कि अभियोक्ता के साथ पितृत्व स्थापित करने के लिए प्रतिवादियों को उनके रक्त के नमूने देकर डी. एन. ए. प्रोफाइल के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।दोनों पक्षों द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों के पितृत्व यानी रिसाला को रिकॉर्ड पर वहन करना होगा।यह स्थापित आदेश के लिए कि दोनों पक्षों ने रिसाला की कमर से जन्म लिया था, दोनों पक्षों के बीच की स्थिति एक दूरगामी प्रस्ताव होगा जब रामजी लाल वर्ष 1947 में वैवाहिक घर में लौट आए और उसके बाद, हवा सिंह और अन्य बनाम मैपरसन और अन्य

शादी के घर में सारती फिर से रामजी लाल के साथ जुड़ गई।रामजी लाल को कभी भी सभ्य रूप से मृत घोषित नहीं किया गया था, इसलिए, सारती को रिसाला की करेवा पत्नी के रूप में माने जाने का कोई अवसर नहीं था और हिंदू विवाह अधिनियम की खंड 16 व्याख्यात्मक ध्यान दें पर होगी।

(10) दोनों पक्षों के रक्त के नमूनों की आपस में तुलना से यह स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक तथ्य नहीं होगा कि वादी वास्तव में सारती के साथ रिसाला के वैध विवाह से रिसाला के पुत्र थे।ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष अपने दृष्टिकोण में सुस्त हो गए हैं।वर्ष 1947 के बाद मनफोल और माईचंडी का जन्म इस मामले को और मजबूत करेगा कि वादी रामजी लाल और सारती के बेटे थे।रामजी लाल की मृत्यु केवल 24.08.1972 पर हुई।65 वर्ष से अधिक आयु के लिए किसी ने भी पितृत्व पर हमला नहीं किया था।अपने जीवनकाल के दौरान, रिसाला और रामजी लाल ने उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कभी कोई आपत्ति नहीं जताई।हवा सिंह और जय सिंह के पितृत्व पर स्वयं वादी द्वारा हमला किया जा रहा है।रामजी लाल की संपत्ति स्पष्ट रूप से वादी के पास है।एक तरह से, आवेदन दायर करना आत्म-दोषारोपण का कार्य है क्योंकि स्वयं को रामजी लाल के पुत्र दिखाने के बजाय, वादी ने खुद को रिसाला और सारती के पुत्र होने का दावा करके रिसाला की संपत्ति पर दावा किया है।

(11) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि सारती का विवाह रामजी लाल से हुआ था। शादी कभी भी भंग नहीं हुई क्योंकि रामजी लाल को कभी भी नागरिक रूप से मृत घोषित नहीं किया गया था, भले ही 1942 से 1946 तक उनके ठिकाने का पता नहीं था।7 साल की पर्याप्त अवधि नहीं थी जिसके दौरान उनकी बात नहीं सुनी गई थी।अन्यथा, रामजी लाल वर्ष 1947 में घर लौट आए और सारती के साथ रहने लगे, जिसके परिणामस्वरूप तीसरे बेटे मनफोल और बेटी माईचंडी का जन्म हुआ।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रामजी लाल और सारती के बीच वैध विवाह की धारणा थी और रिसाला के साथ सारती के करेवा की कोई धारणा नहीं हो सकती थी।डी. एन. ए. प्रोफाइल, भले ही अनुमति दी जाए, रामजी लाल और सारती के बीच वैध विवाह की धारणा को दूर नहीं करेगा।

(12) गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और

अन्य 1, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि परीक्षण निश्चित रूप से एक मामले के रूप में आयोजित नहीं किया जा सकता है, और न ही रोविंग जांच आदेश के लिए ऐसा किया जा सकता है।एक मजबूत प्रथमदृष्टया मामला होना चाहिए जहां पति को साक्ष्य अधिनियम की खंड 112 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा को दूर करने के लिए गैर-पहुंच स्थापित करनी चाहिए, अदालत को सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि रक्त परीक्षण का आदेश देने का क्या परिणाम होगा; क्या इसका एक बच्चे को एक नाजयज बच्चे के रूप में प्रभाव पड़ेगा। और माँ एक अपवित्र महिला के रूप में।किसी को भी विश्लेषण के लिए रक्त का नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

(13) शारदा बनाम धर्मपाल **2** में**,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझाया कि गौतम कुंडू के मामले (सूपर) का अनुपात इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं था कि किसी भी परिस्थिति में न्यायालय रक्त परीक्षण करने का निर्देश नहीं दे सकता है।यह, बच्चे के भविष्य ध्यान दें में रखते हुए, निश्चित रूप से, इस तरह के आदेश के यांत्रिक पारित होने के संबंध में सावधानी बरतता है।यदि निर्देश नाबालिग के हित में हैं, तो ऐसे निर्देश आम तौर पर दिए जाते हैं।वैवाहिक विवादों में, जहां नपुंसकता आदि के आधार पर तलाक की मांग की जाती है, तो बिना किसी चिकित्सा जांच के यह निष्कर्ष निकालना बहुत मुश्किल होगा कि जीवनसाथी द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं।ऐसी स्थिति में पार्टी हमेशा चिकित्सा जांच पर जोर देगी।भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुरोध पर इससे बचना किसी भी निष्कर्ष के लिए असंभव बना देगा।इस तरह का पाठ्यक्रम तलाक के आधार को निरर्थक बना देगा, इसलिए, निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान नहीं किया गया है और इसकी व्याख्या को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।इसलिए, संचयी रूप से, इसे एक आत्यन्तिक अधिकार नहीं माना जा सकता है और जहां दो प्रतिस्पर्धी हितों का टकराव होता है, वहां कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं।नपुंसकता के आधार पर तलाक लेने का

अधिकार सीधे प्रतिवादी के तथाकथित निजता के अधिकार के साथ टकराव में आएगा। इसलिए, न्यायालय को पक्षों के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना होगा।

(14) भबानी प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव उड़ीसा राज्य महिला आयोग और अन्य 3 मामलों में, यह इंगित किया गया था

में पूर्व निर्णय उदाहरणों के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

शारदा का मामला **(**सूपर**)** और गौतम कुंडू का मामला **(**सूपर**)** कि मामले में

जहाँ न्यायालय के समक्ष बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाया जाता है, वहाँ डी. एन. ए. की अवधारणा का उपयोग अत्यंत नाजुक और संवेदनशील पहलू होगा।एक दृष्टिकोण यह है कि जब आधुनिक विज्ञान बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के साधन देता है, तो इसका उपयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।दूसरा विचार यह है कि न्यायालय को ऐसे वैज्ञानिक तंत्र का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार पर आक्रमण हो सकता है और यहां तक कि बच्चे पर विनाशकारी प्रभाव भी पड़ सकता है और एक निर्दोष बच्चे को उसकी माँ और उसकी माँ के बावजूद अपमानित कर सकता है।गर्भधारण के समय पति-पत्नी एक साथ रह रहे थे। किसी व्यक्ति के खुद को जबरन चिकित्सा जांच के लिए प्रस्तुत नहीं करने के अधिकार और सचाई तक पहुंचने के लिए न्यायालय के कर्तव्य के बीच स्पष्ट संघर्ष का सुसंगत रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए और न्यायालय को पक्षों के हितों को संतुलित करने के बाद ही अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या न्यायसंगत निर्णय के लिए डी. एन. ए. प्रोफाइल की आवश्यकता है।बच्चे के पितृत्व से संबंधित मामले में डी. एन. ए. प्रोफाइल को निश्चित रूप से या नियमित तरीके से निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए।न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान और स्थिति के अन्य पक्ष और विपक्ष सहित विभिन्न खंड पर विचार करना होगा।

2AIR (2003) एससी 3450

3 2010(4) RCR (CIVIL) 53

(15) सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य **4** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तकनीक के बलपूर्वक अधीन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह आपराधिक मामलों में हो या अन्यथा, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित घुसपैठ के बराबर होगा।हालाँकि, तकनीकों के स्वैच्छिक प्रशासन के लिए एक जगह थी जब पक्ष इनमें से किसी भी परीक्षण से गुजरने के लिए सहमति देता है, तो परीक्षण के परिणाम को स्वयं साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि विषय

परीक्षण के प्रशासन के दौरान प्रतिक्रियाओं पर सचेत नियंत्रण का प्रयोग नहीं करता है। हालाँकि, स्वैच्छिक प्रशासित परीक्षण परिणामों की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 27 के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है।

(16) रोहित शेखर बनाम नारायण दत्त तिवारी और

अन्य 5, यह देखा गया कि साक्ष्य अधिनियम की खंड 112 द्वारा अनिवार्य निर्णायक प्रमाण मानक, खंड 4 के साथ पढ़ा गया, न्यायालय के समक्ष एक अत्यंत सीमित विकल्प को स्वीकार करता है, जो पति द्वारा पत्नी तक पहुंच न होने के साक्ष्य की अनुमति देता है, जो आरोप लगाता है कि उसके द्वारा पैदा किया गया बच्चा उसकी संतान नहीं है; यह बच्चे के सर्वोत्तम हितों और उसकी वैधता की रक्षा के लिए बनाया गया है।न्यायालय ने उस क्षेत्र को भी शामिल किया जहां बच्चों द्वारा वयस्कता प्राप्त करने पर पितृत्व का मुकदमा किया जाता है, अन्य कारणों से यानी खंड 125 Cr.P.C के तहत बच्चों के अधिकार के आधार पर या घोषणा या रखरखाव के लिए एक मुकदमे में।न्यायालय ने उन क्षेत्रों की ओर इशारा किया जहां न्यायालय ने उचित आदेश देने की प्रमुख आवश्यकता के आधार पर सभी पक्ष और विपक्ष पर विचार किया है।अदालत ने यह भी बताया कि हिंदू गोद लेने और रखरखाव अधिनियम, 1956, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 और बच्चों को उनके बारे में जानने का अधिकार

4 (2010) 7 एससीसी 263

5 2011(2) सीवीसीसी 88 232

स्वाभाविक रूप से, प्रस्ताव ने नए आयाम प्राप्त कर लिए हैं जहां पितृत्व की अवधारणा या उसके दावे को साक्ष्य अधिनियम की खंड 112 द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है।

(17) कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा दिनाक 25.06.2006 राज्य, 2011 (7) एस. सी. सी. 130 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में धारा 53-ए को शामिल करने के साथ, अभियोजन खंड के लिए डी. एन. ए. प्रोफाइल के लिए जाना आवश्यक हो गया है ताकि अभियुक्त के खिलाफ मामले को साबित करने के लिए अभियोजन खंड को सुविधा मिल सके।

(18) नंदलाल वासुदेव बडवाक बनाम लता नंदलाल

बडवल्क और अन्य **6**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्य के प्रमाण की संभावना के लिए प्रदान की गई आधुनिक तकनीक की शुरुआत की है जो उस समय उपलब्ध नहीं थी जब साक्ष्य अधिनियम की खंड 112 लागू की गई थी।जहाँ सत्य या तथ्य ज्ञात हो वहाँ अनुमान आकर्षित नहीं हो सकता है।सत्य का पता लगाने से न्यायाधीश के हित की सर्वोत्तम सेवा होगी।न्यायालय को सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान से सुसज्जित किया जाना चाहिए और इसे अनुमानों पर निर्भर करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, जब तक कि विज्ञान के पास मुद्दे के तथ्यों का कोई जवाब नहीं है।ऐसी स्थिति में इस धारणा को खंडन योग्य माना गया था और इसे सबूत के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।जब कानून के तहत परिकल्पित एक निर्णायक प्रमाण और विश्व समुदाय द्वारा स्वीकार किए गए वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित प्रमाण के बीच टकराव होता है, तो बाद वाले को पहले वाले पर हावी होना चाहिए।

(19) दीपांतविता रॉय बनाम रोनोब्रतो रॉय **7** में**,** माननीय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी के कथित व्यभिचारी व्यवहार और बेटे की आनुषंगिक वैधता को स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण करने के लिए पति की प्रार्थना साक्ष्य अधिनियम की खंड 112 द्वारा सख्ती से कवर नहीं की जाएगी। पत्नी की कथित बेवफाई डीएनए के बिना स्थापित नहीं की जा सकती थी, जो बेवफाई के दावे को स्थापित करने के लिए सबसे वैध और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तंत्र है।परीक्षण का उपयोग पत्नी द्वारा पति के दावे का खंडन करने के लिए भी किया जा सकता है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि वह पति के प्रति

विश्वासघाती, व्यभिचारी या विश्वासघाती नहीं थी।डी. एन. ए. परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए पत्नी द्वारा स्वीकृति के मामले में, यह निर्णायक रूप से उसके खिलाफ लगाए गए आरोप की सत्यता का निर्धारण करेगा और निर्देश का पालन करने से इनकार करने की स्थिति में, न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की खंड 114 (एच) के संदर्भ में उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर आरोप का निर्धारण किया जाएगा। डी. एन. ए. साक्ष्य ने बहुत महत्व ग्रहण किया है और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त घटना है। वैज्ञानिक जांच हमारी आवश्यकता है।डीएनए एक है वैज्ञानिक परीक्षण और इसकी सटीकता 99.99% है और इसलिए, इसका उपयोग न केवल यौन हमले और आपराधिक मामलों में, बल्कि पितृत्व और उत्तराधिकार के सवाल से जुड़े दीवानी मामलों में भी सबूत के रूप में किया जा सकता है।

(20) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 112 सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक नीति के अनुमान पर आधारित है।कानून एक सभ्य समाज में बुराइयों और अनैतिकता के खिलाफ मानता है जहां अपनी मां और किसी भी पुरुष के बीच वैध विवाह के जारी रहने के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता का अनुमान लगाना अनिवार्य है या इसके विघटन के 280 दिनों के भीतर, अगर मां अविवाहित रही।इस तरह की वैधता में निर्णायकता का अनुमान है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि विवाह के पक्षों की किसी भी समय एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब बच्चे का जन्म हो सकता था।इस धारणा को केवल संभावना या संदेह से विस्थापित नहीं किया जा सकता है।इस धारणा का खंडन केवल एक मजबूत और निर्णायक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है।एक बार जब विवाह की वैधता साबित हो जाती है, तो उस विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता के बारे में एक मजबूत धारणा होती है।यह भी कानून का तय प्रस्ताव है कि कानून कुछ भी घृणित या अपमानजनक नहीं मानता है।निर्णायक प्रमाण की धारणा का खंडन मजबूत और स्पष्ट निर्णायक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है।

6 (2014) 2 एस. सी. सी. 576

7 (2015) 1 एस. सी. सी. 365

(21) साक्ष्य अधिनियम की खंड 45 साक्ष्य के रूप में डी. एन. ए. प्रोफाइल की स्वीकार्यता में कोई कानूनी बाधा पैदा नहीं करती है।

(22) कुछ उच्च न्यायालयों ने संकेत दिया है कि अभियुक्त का डी. एन. ए. परीक्षण करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन नहीं है।डी. एन. ए. प्रोफाइल के लिए अभियुक्त से नमूने प्राप्त करना आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।आत्म-दोषारोपण के खिलाफ किसी भी गोपनीयता या अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि अब तक यह सामान्य है कि जाँच के दौरान, डी. एन. ए. परीक्षण किया जा सकता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का विशेषाधिकार केवल साक्ष्य साक्ष्य में लागू होता है।आपराधिक मामले में, डी. एन. ए. प्रोफाइल प्राप्त करने से आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।विशेषाधिकार केवल साक्ष्य

में लागू होता है अर्थात संक्षेप में विबाध्यता में ली गई गवाही।आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार केवल किसी व्यक्ति से साक्ष्य साक्ष्य लेने के लिए शारीरिक या नैतिक मजबूरी के उपयोग पर निषेध है, न कि उसके शरीर से लिए गए साक्ष्य का बहिष्कार जब वह सामग्री हो और इस प्रकार, न्यायालय किसी व्यक्ति को दण्ड प्रक्रिया संहिता में खंड 53-ए को शामिल करने के बाद डी. एन. ए. परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए मजबूर कर सकता है, बलात्कार के मामले में अभियुक्त का डी. एन. ए. परीक्षण अपरिहार्य है।

(23) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलेगा कि भले ही 234 के प्रमाण की संभावना के लिए प्रदान की गई वर्तमान आधुनिक तकनीक में डी. एन. ए. प्रोफाइल का आदेश दिया जा सकता है।तथ्य जो उस समय उपलब्ध नहीं था जब साक्ष्य अधिनियम की खंड 112 अधिनियमित की गई थी, लेकिन न्यायालय ऐसे वैज्ञानिक तंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दे सकता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कहीं भी नेतृत्व नहीं करेगा।इस तरह के परीक्षण की स्वीकार्यता रामजी लाल के 1947 के बाद जीवित रहने और तीसरे बेटे मनफोल और बेटी माईचंडी को जन्म देने के आलोक में देखी जा सकती है।1947 से पहले रामजी लाल और सारती के बीच कोई वैध तलाक नहीं था, और न ही 1942 से 1946 तक रामजी लाल की सिविल मृत्यु की अनुपस्थिति में में किसी करेवा को माना जा सकता है।

(24) सबसे पहले, रामजी लाल और सारती के बीच वैध विवाह का एक वैध अनुमान था, जिनके विवाह से वादी का जन्म हुआ था।दूसरा, दोनों पक्षों के रक्त के नमूने की सहायता से रिसाला के जैविक संबंध स्थापित किए जाने हैं।यह स्थापित आदेश के लिए कि वादी रिसाला का पुत्र है, वादी के रक्त का नमूना लेना एक दूरगामी प्रस्ताव होगा क्योंकि रामजी लाल वर्ष 1972 तक जीवित थे।यदि वे रामजी लाल के पुत्र नहीं पाए जाते हैं तो वादी की स्थिति संदिग्ध होगी। वादी की वैधता ध्यान दें तब तक सवाल नहीं उठाया जा सकता जब तक रामजी लाल और सारती के बीच शादी बनी रही।किसी भी मामले में, विवाद से संबंधित किसी भी तथ्य को स्थापित करने के लिए कोई घुमावदार जांच नहीं हो सकती है।प्रस्तावित कार्रवाई निश्चित रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई ठोस विराम नहीं देगी।तथ्यों पर ध्यान केवल वर्तमान मामले का निर्णय लेने के उद्देश्य से दिया

जा रहा है, जिसका मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई अर्थ नहीं है।ऊपर व्यक्त की गई किसी भी बात को किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(25) मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, डी. एन. ए. प्रोफाइल के लिए अनुरोध नहीं किया जा सकता है।इस पुनरीक्षण याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

अमित अग्रवाल

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

सुनीता रानी